

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम
जिला) रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

परिपत्र

आशु-भाषण प्रतियोगिता 2025-2026

आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार-प्रसार करने तथा अपने दैनिक सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के प्रति कर्मचारियों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर जिला एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली की स्वीकृति से तथा केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में से एक आशु-भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

इस प्रतियोगिता में उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम	प्रतियोगिता का नाम	आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि	आयोजन की तिथि, समय व स्थान
1.	आशु-भाषण प्रतियोगिता	<u>13.03.2026</u>	<u>17.03.2026</u> को शाम 4:00 बजे सम्मेलन कक्ष, पाँचवीं मंजिल, रोहिणी न्यायालय में

कृपया ध्यान दें— विस्तृत जानकारी के लिए परिपत्र के साथ इस प्रतियोगिता से संबंधित संलग्न नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

उपरोक्त प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी आपको यथासमय दी जाएगी तथा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नियमानुसार नकद पुरस्कार/प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। जो कर्मचारी उक्त “आशु-भाषण प्रतियोगिता” में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना नाम/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में हिंदी अनुभाग, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम में दिनांक 13.03.2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(श्रीजी एनॉट)

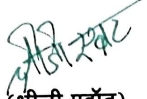
नोडल अधिकारी
उत्तर जिला
रोहिणी न्यायालय
दिल्ली

(अपूर्व भारद्वाज)

नोडल अधिकारी
उत्तर-पश्चिम जिला
रोहिणी न्यायालय
दिल्ली

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र एवं संलग्नकों की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है—

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
6. अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यन्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. निदेशक (प्रशासन), दिल्ली न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली।
8. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारी, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली, से अनुरोध है कि परिपत्र से अपने नियंत्रणाधीन तैनात कर्मचारियों को अवश्य अवगत कराएँ।
9. सभी प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली से अनुरोध है कि परिपत्र से अपने नियंत्रणाधीन तैनात कर्मचारियों को अवश्य अवगत कराएँ।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अनुभाग, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
11. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, कंप्यूटर अनुभाग, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय व तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
12. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), समस्त न्यायिक जिलों के राजभाषा हिन्दी अनुभाग—केवल सूचनार्थ।
13. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
14. अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के रीडर।


(श्रीजी एनॉट)
नोडल अधिकारी
उत्तर जिला
रोहिणी न्यायालय
दिल्ली


(अपूर्व भारद्वाज)
नोडल अधिकारी
उत्तर-पश्चिम जिला
रोहिणी न्यायालय
दिल्ली

राजभाषा हिन्दी अनुभाग

उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

विविध हिन्दी प्रतियोगिताएँ

आशु-भाषण प्रतियोगिता-2026

आयोजन:- 17.03.2026 को **शाम 4:00 बजे**, सम्मेलन कक्ष, पाँचवीं मंजिल, रोहिणी न्यायालय में

आवेदन भेजने की अंतिम तिथि : **13.03.2026**

इस पत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें।

1. कर्मचारी का नाम : _____
2. पिता/पति का नाम : _____
3. पदनाम : _____
4. कर्मचारी की कूट संख्या : _____
5. वर्तमान तैनाती स्थल : _____

6. ई-मेल पता : _____
7. मोबाइल नंबर : _____

कृपया आवेदन करते हुए पूर्ण विवरण नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
हिन्दी में किए गए हस्ताक्षर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं।

कर्मचारी के हस्ताक्षर
दिनांक : _____

अग्रसारित

(अग्रप्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर)
मोहर सहित

आशु-भाषण प्रतियोगिता के लिए नियमावली

1. इस प्रतियोगिता में उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं।
2. राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, में कार्यरत कर्मचारी उक्त प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
3. उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय के नोडल अधिकारी/समन्वयक के न्यायालय/कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी उक्त प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
4. यह प्रतियोगिता निःशुल्क है।
5. इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय को उचित माध्यम से भेजने होंगे और कर्मचारी इस प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते हैं:-
6. आशु-भाषण प्रतियोगिता हेतु नियम :-

(i) इस प्रतियोगिता हेतु "एक मिनट" की समयावधि तय की जाएगी।

(ii) प्रतियोगिता का विषय (topic) मौके पर (on the spot) ही दिया जाएगा।

(iii) दिए गए विषय पर बोलते हुए दुहराव (Repetition) की स्थिति में नकारात्मक अंकन (negative marking) किया जाएगा।

7. प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण प्रत्येक जिले (उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम) के लिए निम्नलिखित है:-

प्रथम पुरस्कार (एक) – 4000/- रुपये

द्वितीय पुरस्कार (एक) – 3000/- रुपये

तृतीय पुरस्कार (एक) – 2000/- रुपये

प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच) – 800/- रुपये

8. कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते हैं (हाल ही में रोहिणी न्यायालय में कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है), लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि एक से अधिक कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो पुरस्कार राशि उनमें समान अनुपात में वितरित की जाएगी।

9. इस प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में नोडल अधिकारी/समन्वयक एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम जिला), रोहिणी न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा किसी आवश्यक बदलाव का अधिकार भी इन्हें होगा।